शीर्षक:

डिजिटल हाउस अरेस्ट धोखाधड़ी से सावधान रहें

प्रिय बहुमूल्य ग्राहक,

आज के डिजिटल युग में, साइबर सुरक्षा जागरूकता खुद को उभरते साइबर खतरों से बचाने के लिए आवश्यक है। इसलिए सूचित रहना और साइबर स्वच्छता के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाना सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग अनुभव प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

"डिजिटल हाउस अरेस्ट" एक जटिल साइबर घोटाला है, जिसमें जालसाज पुलिस, सीबीआई या कस्टम अधिकारी बनकर पीड़ित को अपने घर पर बंधक बना लेते हैं और उन्हें जालसाजों की लाइव डिजिटल निगरानी में रखते हैं, इस बहाने कि उनके खिलाफ कोई गंभीर अपराध हुआ है और वे मामले की जांच कर रहे हैं। वे नकली पुलिस स्टेशन सेटअप बनाते हैं और नकली कानूनी परिणामों या गिरफ्तारी वारंट से बचने के लिए पीड़ितों को पैसे ट्रांसफर करने के लिए धमकाने के लिए वीडियो कॉल का उपयोग करते हैं।

<u>काम करने का ढंग:</u>

- जालसाज ने नकली पुलिस स्टेशन बनाते हैं जिसमें अधिकारी बनकर अभिनेता मौजूद होते हैं। वे वीडियो कॉल के दौरान सच दिखने के लिए एक विश्वसनीय माहौल तैयार करते हैं

- पीड़ितों को इन "अधिकारियों" से वीडियो कॉल प्राप्त होते हैं जो गिरफ्तारी वारंट के साथ मनगढ़ंत आरोप पेश करते हैं।

- डिजिटल गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए, पीड़ितों को धोखेबाजों के खातों में धन हस्तांतरित करने के लिए मजबूर किया जाता है।

<u>हमेशा ध्यान रखें:</u>

- वास्तविक कानून प्रवर्तन एजेंसियां कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए पैसे नहीं मांगती हैं।

- जालसाज़ अक्सर पीड़ितों में जल्दबाजी का भाव पैदा करते हैं, ताकि वे बिना सोचे-समझे कार्य कर लें।

- पुलिस या सीबीआई की ओर से आधिकारिक संवाद अनियोजित वीडियो कॉल के माध्यम से होने की संभावना नहीं है।

<u>सावधानियां:</u>

- हमेशा कॉल करने वाले की पहचान स्वतंत्र रूप से सत्यापित करें। आधिकारिक संपर्क विवरण का उपयोग करके सीधे संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसी से संपर्क करें।

- जब तक आप कॉल करने वाले की पहचान के बारे में निश्चित न हों, तब तक फोन या वीडियो कॉल पर कभी भी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी न दें।

- यदि आपको किसी धोखाधड़ी का संदेह हो तो तुरंत स्थानीय साइबर पुलिस प्राधिकारियों को इसकी सूचना दें।

- चक्षु पोर्टल https://sancharsathi.gov.in/sfc/ पर धोखाधड़ी वाले संचार की रिपोर्ट करें।

साइबर सुरक्षा जागरूकता पर अधिक जानकारी के लिए, बीओआईसाइबर स्टार ई-मैन्युअल देखें या हमारी वेबसाइट के सुरक्षित बैंकिंग खंड पर जाएं।

हमारी वेबसाइट के शिकायत अनुभाग के अंतर्गत साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्ट करें और साथ ही, भारत सरकार के पोर्टल: www.cybercrime.gov.in पर भी रिपोर्ट करें या कॉल 1930 पर कॉल करें।

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

सूचना सुरक्षा टीम